भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5465

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े आकार के खेपों की ढुलाई

5465. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यांत्रिक खेती में वृद्धि और सभी उपजाऊ भूमि तक पहुंच बनाने के लिए हार्वेस्टर जैसी बड़ी कृषि मशीनों की आवश्यकता को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक्सप्रेस मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर हल्के वाहन वाले अंडरपास (एलवीयूपी), वाहन ओवरपास (वीओपी) और पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास (पीयूपी) जैसी संरचनाएं उनकी ढुलाई को रोक रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक विस्तार के कारण बड़े आकार के खेपों की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित वीयूपी, एलवीयूपी, वीओपी, सड़क उपरि पुल (आरओबी) और ग्रेड-सेपरेटेड जंक्शन उनकी ढुलाई को सीमित कर रहे हैं और विकास में बाधा डाल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि एक्सप्रेस मार्गों के किनारे ग्रामीण अथवा कम आबादी वाले क्षेत्रों में सर्विस सड़क की कमी के कारण स्थानीय आवागमन और विकास बाधित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने बड़े आकार के खेपों और खेती के बडे उपकरणों की ढुलाई को सीमित करने और बढ़ी हुई परिवहन लागत के आर्थिक प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को माल और यात्रियों के कुशल और किफायती परिवहन के मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट आयामों के वाहनों में भार ले जाने वाले यातायात के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। हालाँकि, देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच)/एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक माल ले जाने वाले अधिक वजन वाले/अधिक आयामी खेपों

(ओडब्ल्यू/ओडीसी) की आवाजाही को सुस्थापित नीति के अनुसार अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में स्थानीय यातायात की निरंतरता बनाए रखने और कृषि मशीनरी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला की सड़कों और अन्य श्रेणियों की सड़कों के चौराहे पर वाहनों के लिए अंडर/ओवरपास का प्रावधान भी है। हल्के वाहन वाले अंडरपास (एलवीयूपी), वाहन ओवरपास (वीओपी) और पैदल यात्री अंडरपास (पीयूपी) की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) मंजूरी लागू भारतीय सड़क कांग्रेस कोडल प्रावधानों और सरकार की मौजूदा नीतियों के अनुसार, साथ ही हार्वेस्टर जैसी बड़ी कृषि मशीनों के सभी उपजाऊ भूमि तक सुगमता हेतु निर्बाध आवाजाही के लिए साइट की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ग), (घ) और (च) सरकार ने विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर औद्योगिक माल ले जाने वाले अधिक वजन वाले/अधिक आयामी खेपों (ओडब्ल्यूसी/ओडीसी) की आवाजाही के लिए ऑनलाइन अनुमति देने के लिए कार्यतंत्र स्थापित किया है तथा पुलों, वीयूपी, एलवीयूपी, वीओपी, सड़क ओवर ब्रिज (आरओबी) और ग्रेड-सेपरेटेड जंक्शनों जैसी संरचनाओं के डिजाइन के लिए नीति भी जारी की है, जिसमें ओडब्ल्यूसी/ओडीसी की निर्बाध आवाजाही के साथ-साथ किसी भी संबंधित संरचना को नुकसान से बचाने के लिए विशेष लोडिंग सेवा की व्यवस्था है।

(ङ) एक्सप्रेसवे को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देश आईआरसी: एसपी: 99-2023 'एक्सप्रेसवे के लिए विनिर्देशों और मानकों का मैनुअल' के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें स्थानीय आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे के साथ-साथ सभी स्थानों पर पहुंच मार्ग का प्रावधान है।

*****